भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5057
जिसका उत्तर मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

यात्रियों की सुरक्षा

5057. श्री दिलीप सिंह भूरिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में यात्री कारों के लिए सुरक्षा के मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी जानकारी मिली है की कुछ कार विनिर्माता कंपनियां विनिर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही हैं जिसके फलस्वरूप दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वैश्विक सुरक्षा मानकों को अपनाने का है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर, 2013 में वैश्विक सड़क सुरक्षा संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उजागर किए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) के नियम 126 के तहत यह प्रावधान है कि ट्रेलर्स और सेमी-ट्रेलर्स के अलावा मोटर वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रमाण-पत्र देने के लिए अपने द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप इसमें विनिर्दिष्ट किसी एजेन्सी के पास परीक्षण हेतु भेजना आवश्यक है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 126ए के अनुसार नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेन्सियों के लिए विनिर्माता की उत्पादन श्रृंखला से लाए गए वाहनों का परीक्षण करना भी आवश्यक है जिससे कि यह सत्यापन किया जा सके कि ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

(ग) और (घ): सभी कार कंपनियां अपनी विनिर्मित कारों में इन निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रही हैं।

(ङ) और (च): भारत यात्री कारों के लिए सुरक्षा मानकों के राष्ट्रीय विनियमनों को यूनाइटेड नेशन्स इक्नॉमिक कमीशन फॉर यूरोप (यूएन-ईसीई) विनियमनों के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों में सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए 'भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी एसेसमेन्ट प्रोग्राम' के तहत एक समर्पित पैनल तैयार किया है जो अक्टूबर, 2017 से स्वैच्छिक तथा अक्टूबर, 2020 से अनिवार्य होगा।

****